

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 1973/फाल्गुन 18, 1894

No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1973/PHALGUNA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 9th March, 1973

G.S.R. 162 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 184-Customs, dated the 28th December, 1956, namely:—

In the said notification, for the words, "pickled hides and butts", the words, "pickled hides, pickled butts and pickled sheep skins", shall be substituted.

[No. 40/F. No. 355/51/72-Cus. I]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचना
सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 9 मार्च 1973

सा० का० नि० 162(अ)---सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 184-सीमाशुल्क, तारीख 28 दिसम्बर, 1956 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में “अम्ल मार्जित खालें बड़े पशुओं की पीठ की मोटी खालें (पिकल्ड हाइड्स एण्ड बट्टस)” शब्दों के लिए “अम्ल मार्जित खालें, अम्ल मार्जित बड़े पशुओं की पीठ की मोटी खालें और अम्ल मार्जित भेड़ की खालें पिकल्ड हाइड्स, पिकल्ड बट्टस एंड पिकल्ड शीप स्किन्स” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 40/का० सं० 355/51/72-सी० शु० I]

एस० नारायणन, उप सचिव।